न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स / एल.आर. /6069/ 2022 /जिला जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1— रामकिशोर पुत्र भौरीलाल जाति ब्राहमण
2— बद्री पुत्र नारायण (फौत)
2/1 लल्लूराम पुत्र बद्री
3— कल्याण
4— रामूलाल | पुत्रगण नारेन
5— रामस्वरूप
6— महादेव पुत्र भौरीलाल (फौत)
6/1 जगदीशपुत्र महादेव जाति ब्राहमण निवासी गीला की
6/2 मूलचन्द नांगल तहसील बस्सी
6/3 रामा पत्नी महादेव जाति ब्राहमण निवासी गीला की नांगल तहसील बस्सी
6/4 मंगली | पुत्री महादेव जाति ब्राहमण निवासी दूधली
6/5 प्रभाती | तहसील बस्सी
6/6 कमला पुत्री महादेव जाति ब्राहमण निवासी नायला तहसील जमवारामगढ़।
7— श्योसहाय पुत्र भौरीलाल जाति ब्राहमण निवासी गीला की नांगल तहसील बस्सी(फौत)
7/1 सीताराम
7/2 कैलाश | पुत्रगण श्योसहाय
7/3 शंकर
7/4 बाबू
8— मूल्या पुत्र गोविन्दा जाति ब्राहमण निवासी गीला की नांगल तहसील बस्सी (फौत)
8/1 जगदीश
8/2 श्रीनारायण | पुत्रगण मूल्या
8/3 गणपत
8/4 राजू
9— सेडूराम पुत्र भींवाराम जाति रैगर निवासी गीला की नांगल तहसील बस्सी

—अप्रार्थीगण

एकलपीठ

डॉ0 गिरीश पाराशर, सदस्य

उपस्थित :

श्री रामसुख चौधरी, उप—राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
श्री सी.पी.पाराशर, श्री प्रशान्त वर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण

—निर्णय— दिनांकः—06—07—2023

1— यह रेफरेंस प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 28—08—2004 द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बस्सी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) जयपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गीला की नांगल तहसील बस्सी स्थित खेत खसरा नम्बर 156 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2019 तक दर्ज चली आ रही थी। सवंत् 2021—2024 तक की जमाबन्दी तैयार करते समय वादग्रस्त भूमि में मंदिर के नाम का विलोपन करते हुए नियम विरूद्व तरीके से कृषक लक्ष्मीनारायण, नारायण, ग्यारसा, गोविन्दा पुत्र चन्द्रा की एवज में मूल्या पुत्र गोविन्दा जाति ब्राहमण के नाम दर्ज कर दी गई तथा वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2050—2053 तक में भी वादग्रस्त भूमि रामकिशोर पुत्र भौरीलाल, बद्री, कल्याण, रामूलाल, रामस्वरूप पिसरान नारायण, महादेव, श्योसहाय पिसरान भौरीलाल, मूल्या पुत्र गोविन्दा, सेडूराम पुत्र भींवराम के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अतः विवादित आराजी अप्रार्थी के नाम से निरस्त करने हेतु रेफेरेंस राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया जावे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) जयपुर द्वारा रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 28—08—2004 से अभिशंषा करते हुये अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी तथा उसके पक्ष में किये गये अंकनों को निरस्त करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया गया है।

3— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4— विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) जयपुर के निर्णय दिनांक 28—08—2004 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रभाव से वर्जित श्रेणी की भूमि है। वादग्रस्त भूमि मंदिर माफी के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि रही है तथा मंदिर की भूमि को शाश्वत नाबालिग मानते हुए उसकी सुरक्षा एवं सरंक्षणा किये जाने को दृष्टिगत् रखते हुए ही प्रस्तुत रेफरेन्स न्यायालय के समक्ष अभिशंषित करते हुए प्रेषित किया गया है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर किसी भी काश्तकार एवं खुदकाश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते। अतः रेफरेन्स प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जावे।

5— विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि है, अर्थात अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा निरन्तर कब्जे काश्त की भूमि रही है। प्रकरण में राज्य पक्ष का प्रस्तुत रेफरेन्स का मुख्य आधार जमाबन्दी संवत् 2019 लिया गया है, उक्त जमाबन्दी दौराने उपनिवेशन तैयार की गई है, तथा

उक्त जमाबन्दी के आधार पर किये गये परिवर्तन को रेफरेन्स के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 156 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2019 तक दर्ज बताई गई। सवंत् 2021—2024 तक की जमाबन्दी तैयार करते समय वादग्रस्त भूमि में मंदिर के नाम का विलोपन करते हुए कृषक लक्ष्मीनारायण, नारायण, ग्यारसा, गोविन्दा पुत्र चन्द्रा की एवज मे मूल्या पुत्र गोविन्दा जाति ब्राहमण के नाम दर्ज करने का कथन किया गया है, जो सही नहीं है। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2050—2053 तक में भी वादग्रस्त भूमि रामकिशोर पुत्र भौरीलाल, बद्री, कल्याण, रामूलाल, रामस्वरूप पिसरान नारायण, महादेव, श्योसहाय पिसरान भौरीलाल, मूल्या पुत्र गोविन्दा, सेडूराम पुत्र भींवराम जाति रैगर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई। वादग्रस्त भूमि जरिये नामानतरणकरण संख्या 8 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज की गई। वादग्रस्त भूमि के साबिका खसरा नम्बर 436 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 433 मीन रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नम्बर 535 रकबा 0.08 बीघा कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि के नये खसरा नम्बर 156 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा पैमूद हुए है।

6— विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा आगे कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2015 से संवत् 2034 तक भोक्ता के कॉलम 3 में माफी देव ठिकाना मन्दिर श्री सीताराम जी पुजारी रामदास चेला नारायणराम कौम स्वामी सा. देह दर्ज रहा है जबकि कॉलम 5 में काश्तकार के रूप में लक्ष्मीनारायण, नारायण, ग्यारसा पिसरान श्योनारायण बहिस्सा 1/4, नारायण पुत्र पांचू बहिस्सा 1/4, पंताप पुत्र लच्छू बहिस्सा 1/6 व महादेव व श्योसहाय पुत्र भौरीलाल बहिस्सा 1/6, गोविन्दा पुत्र चन्द्रा बहिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के अप्रार्थीगण प्रारम्भ से ही काश्तकार रहे है तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसरण में मन्दिर मूर्ति की भूमि में यदि भूमि के काश्तकार को हस्तान्तरण व उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त हो गये या बन्दोबस्ती जमाबन्दी में खादमदार काश्तकार अंकित कर रखा हो तो ऐसी स्थिति में जागीर उन्मूलन होने के उपरान्त माफी मन्दिर की भूमि का खातेदार काश्तकार मूर्ति मन्दिर नहीं होकर काश्तकार को ही खातेदार माना गया है। इसी प्रकार जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभाव में आने के उपरान्त कृषक के कॉलम में किसी काश्तकार का नाम अंकित हो तो जमाबन्दी में अंकित कृषक को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। इसी प्रकार यदि कृषक के कॉलम में खुदकाश्त दर्ज हो तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर किसी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं करते हुए मूर्ति मन्दिर को खातेदार मानते हुए ऐसी भूमि के खातेदारी अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान नहीं करते हुए उक्त भूमि मूर्ति मन्दिर के नाम यथावत रखी जायेगी। प्रकरण में अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के काश्तकार है तथा कृषक के कॉलम में बतौर काश्तकार प्रतिस्थापित रहे है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि कभी भी माफी मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम की खुदकाश्त भूमि नहीं रही होने से माफीदार/जागीरदार की माफी/जागीर अधिग्रहण होने पर भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952

के प्रावधानो के अनुसार काबिज काश्तकार स्वतः ही खातेदार हो गये है। उक्त आधार पर विवादित भूमि का अप्राथीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन विधि अनुरूप होने से प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किया जावे।

7— विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं परिशीलन किया गया।

8— प्रस्तुत रेफरेन्स के निस्तारण से पूर्व प्रकरण की पृष्ठभूमि का अभिवचन किया जाना अपरिहार्य है। प्रस्तुत रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) जयपुर के आदेश दिनांक 28—08—2004 के माध्यम से रेफरेन्स को अभिशंषित करते हुए प्रेषित किये जाने पर मण्डल द्वारा दिनांक 05—12—2012 को रेफरेन्स स्वीकार किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष नजरसानी (रिव्यू) प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अप्रार्थीगण का नजरसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 12—10—2022 को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत रेफरेन्स पुनः गुणावगुण पर निर्धारण हेतु निश्चित किये जाने पर प्रकरण में उभय पक्षों की गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

9— प्रकरण में प्रस्तुत रेफरेन्स के माध्यम से यह निर्धारण किया जाना है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम गीला की नांगल तहसील बस्सी स्थित खेत खसरा नम्बर 156 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि माफी देन ठिकाना मन्दिर श्री सीतारामजी का नाम विलोपित करते हुए अप्रार्थीगण के नाम विधि सम्मत् तरीके से दर्ज किया गया है अथवा नहीं? इस संबंध में कानूनी अवधारण/विधि के प्रावधानों व उच्चतर न्यायालयों द्वारा इस संबंध में प्रतिपादित सिद्वान्तों का अवलोकन एवं परिशीलन किया जाना अपरिहार्य हो जाता है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत 2019 के अनुसार भोक्ता के कॉलम में माफी देन ठिकाना मंदिर श्री सीतारामजी पुजारी चेला नारायणदास कौम स्वामी अंकित है तथा कृषक के कॉलम संख्या 5 में लक्ष्मीनारायण, नारायण, ग्यारसा पिसरान श्योनारायण बहिस्सा 1/4, नारायण पुत्र पांचू बहिस्सा 1/4, पंताप पुत्र लच्छू बहिस्सा 1/6 व महादेव व श्योसहाय पुत्र भौरीलाल बहिस्सा 1/6, गोविन्दा पुत्र चन्द्रा बहिस्सा 1/6 अंकित रहा है। भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 2 एच में भोक्ता भूमि को जागीर भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त धारा 2 एच के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जब भी ऐसी जागीरो का अधिग्रहण किया गया है, उक्त दिनांक से समस्त जागीर भूमि जिसमें माफी की भूमि को भी शामिल किया गया है, राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित करते हुए खुदकाश्त की भूमि को छोड़ते हुए अधिनियम की धारा 9 के तहत कृषक के आधिपत्य में होना स्वीकार किया गया है तथा ऐसे कृषकों को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार माना गया है। प्रकरण में भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभाव में आने की दिनांक अर्थात दिनांक 08—02—1952 को वादग्रस्त भूमि माफी मन्दिर के नाम खुदकाश्त दर्ज नहीं होकर अप्रार्थीगण के नाम बतौर काश्तकार दर्ज भूमि रही है। इस प्रकार सवंत 2019 की खतौनी एकीकरण जमाबन्दी में काश्तकार का नाम कॉलम के इन्द्राज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होकर भोक्ता के स्थान पर राजस्थान सरकार अंकित किया गया है तथा कृषक के स्थान पर यथावत कृषक

रखते हुए अप्रार्थीगण का नाम अंकित रहा है। प्रकरण में संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स वादग्रस्त भूमि संवत् 2019 की जमाबन्दी ग्राम गीला की नांगल तहसील बस्सी के खेत खसरा नम्बर 156 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि के बाबत् प्रस्तुत किया गया है, प्रकरण में रेफरेन्स प्रस्तुत करते हुए खेत खसरा नम्बर 156 के साबिका खसरा नम्बर जोकि खसरा नम्बर 436, 433 मीन, 434 व 535 रहे है, उक्त खसरा नम्बरान् की जमाबन्दी संवत् 2015—2034 के अनुसार खसरा नम्बर 436 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि मंदिर श्री सीतारामजी (भोक्ता) व कृषक के कॉलम में अप्रार्थीगण का नाम व खसरा नम्क्बर 433 व खसरा नम्बर 435 कभी भी मंदिर माफी की भूमि से संबंधित नहीं होने पाये जाते है। इस प्रकार प्रस्तुत रेफरेन्स से यह जाहिर नहीं होता कि खतौनी एकीकरण जमाबन्दी संवत् 2019 व उसके पश्चात् माफी मन्दिर बतौर खुदकाश्त वादग्रस्त भूमि पर काबिज रहा हो। जिससे जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी मन्दिर की खुदकाश्त भूमि नहीं रही है ना ही कृषक के कॉलम में मूर्ति मन्दिर का नाम अंकित रहा है। इस संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा पेश किये गये निम्न न्यायिक दृष्टांतो पर भी विचार किया गया। आरबीजे 2015 पेज 486, आरआरटी 2008 पेज 707, आरबीजे 2019 पेज 240, आरबीजे 2019पेज 473, आरएलडब्ल्यू 2015 पेज 2721 तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 व 2010 में जारी किये गये परिपत्रो का भी अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतो में माननीय उच्च न्यायालय की वृहदपीठ द्वारा तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 15—07—2015को पारित निर्णय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा मंदिर माफी की भूमि के संबंध में सभी संदेहो का एवं विवादों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया है। जिसके मुख्य तथ्य निम्न प्रकार हैः—

> (i)The land held in Jagir by Hindu Idol (deity) as Kolidar or Muafidar cultivated by a person other than the Shebait/Pujari as a tenant of the deity, shall vest in the State, after the Jagirs Act of 1952. The Hindu Idol (deity), even if it is treated to be a perpetual minor, could not continue to hold such land. Such land cannot be treated to be in its personal cultivation. A tenant of such land cultivating the land acquired the rights of khatedar of the State. Such land under the tenancy of a person other than Shebait/Pujari of Hindi Idol (deity) became khatedari land of such tenant. The name of Hindi Idol (deity) from such land had to be expunged from the revenue records with Shebait/Pujari having no right to claim the land as Khatedar. Conequently, they had no right to transfer such lands, and all such transfer have to be treated as null and void, in contravention of the Jagirs Act 1952, and the land under such transfer to be resumed by the State.

(ii) The Hindi Idol (deity) in the lands held by them in the name of its Shebait/Pujari on the date of resumption of such Jagir under the provisions of the Jagirs Act of 1952 did not have any rights except in Khudkasht land cultivated by Shebait/Pujari either by themselves or by hired labour or servant engaged by them for the benefit of the expenses of the temple including sewa puja. All those lands let out by them to the tenants or sub-tenants were resumed by the Jagirs Act of 1952 and that the Hindi Idol (deity) lost all the rights in such jagir lands.

(iii) The Jagir land/muafi held by the Shebait/Pujari of Hindi Idol (deity) in their name after the date of resumption of the jagir (Muafi) by the Jagirs Act of 1952 will not give them any right nor they could alineate the land. The alienation made by them of such land which was resumed/acquired by the State Government and for which claims were made and settled before the Jagir Commissioner, would be null and void and will have to effect.

(iv) No person can acquire right by adverse possession in the land which were resumed or are in the tenancy of the tenants as khatedars. The limitation application under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 for filing suit for possession against the trespasser will be applicable. The Rajasthan Tenancy Act, 1955 being a Special Act, will prevail and the provisions of Section 27 of the Limitation Act will not apply claiming adverse possesion of such lands.

(v) No time limit has been fixed for reference under section 82 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and under Section 232 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 in respect of the land held by a Hindi Idol (deity), and thus a reference can be made within a reasonable time, which will depend upon the facts and circumstances of each case. Even, if the fraud is alleged, the power must not be exercised after unreasonable period, such as, after several decades claiming rights over the land.

इस संबंध में स्वयं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप—6) विभाग ने दिनांक 24—05—2007 को जारी परिपत्र के माध्यम से निर्देशित किया है किः—

> ''जागीर अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो राजस्व भू—अभिलेखों में किसी व्यक्ति के नाम खातेदार/पट्टेदार/खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। उन काश्तकारो को पूर्ण अनुवांशिक खातेदारी अधिकार एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है और वह ऐसी भूमियों के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा इसलिये ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत् नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज होगा।''

इस संबंध में दिनांक 06—01—2010 को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा परिपत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है किः—

> ''माफी मंदिर की भूमि में खातेदारी अधिकारों के संबंध में परिपत्र दिनांक 24—05—2007 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी, उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे ऐसी भूमियों के पुनः मन्दिर के नाम दर्ज कराया जाना विधिसम्मत् नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।''

लिहाजा प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त थे, जिनके नाम से विवादित भूमि के खातेदार अधिकार प्रावधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त हो चुके है। विधि के मूलभूत सिद्वान्तों/प्रावधानों के अनुसार भी माफी पुनर्ग्रहण के समय जो व्यक्ति काश्तकार के रूप में दर्ज हो, स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

8— हमने न्याय दृष्टांतों में मण्डल की माननीय एकल पीठों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन किया। जिसके अनुसार समान प्रकृति के निम्न मामलों में प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्रों को खारिज किया गया है।

(1) रेफरेन्स/एलआर/4142/2007 जयपुर निर्णय दिनांक 17—10—2022
(2) रेफरेन्स/एलआर/2607/2002 जयपुर निर्णय दिनांक 07—08—2018
(3) रेफरेन्स/एलआर/4372/2010 जयपुर निर्णय दिनांक 05—04—2018
(4) रेफरेन्स/एलआर/6431/2007 जयपुर निर्णय दिनांक 05—04—2018
(5) रेफरेन्स/एलआर/563/2002 बूंदी निर्णय दिनांक 26—03—2018
(6) रेफरेन्स/एलआर/3369/2004 जयपुर निर्णय दिनांक 26—11—2019

प्रस्तुत प्रकरण लगभग 35 वर्ष की असाधरण देरी से प्रस्तुत किया गया है एवं देरी का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि रेफरेन्स करने के लिये किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं है फिर भी देरी युक्तियुक्त होनी चाहिए। 35 वर्ष की देरी को किसी भी प्रकार से युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता।

9— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् रेफरन्स संधारण योग्य नहीं पाये जाने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर अभिभाषकगणों को दी जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 गिरीश पाराशर)
सदस्य